



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone:0141-2716814,32 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक : एफ13(33)/राप्रनिम/आईटीएस/482-486

दिनांक :- 30/03/2021

नीलामी सूचना

(पुराने/अनुपयोगी/अप्रचलित/नकारा इलेक्ट्रॉनिक सामान / उपकरण (ई-वेस्ट) की जहाँ है जैसा है आधार पर नीलामी हेतु)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, जयपुर परिसर में ई-वेस्ट के निवर्तन (जहाँ है जैसे है) के आधार पर पुराने / अनुपयोगी/ अप्रचलित/नकारा इलेक्ट्रॉनिक सामान / उपकरण (ई-वेस्ट) की नीलामी आयोजित की जावेगी जिसका न्यूनतम विक्रय राशि रूपये 391559.00/- (GST रहित) है। ई-वेस्ट सामग्री की नीलामी में भाग लेने वाली फर्म केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (CPCB)/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (SPCB)/ प्रदूषण नियंत्रण समिति (PCC) से ई-वेस्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के तहत अधिकृत डिस्मैन्टलर (Dismantler)/ रिसाईक्लर (Recycler)/ रजिस्टर्ड PRO/ EPR अधिकृत प्रोड्यूसर होना अनिवार्य है। नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीकर्ता अपनी बोली संलग्न "प्रस्ताव प्रारूप" में भरकर सील बंद लिफाफे में दिनांक 20.04.2021 को सांय 03.00 बजे तक जमा करा सकते हैं जो उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ता/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।

बोली लगाने वाले (बिडर्स)को बोली प्रस्ताव के साथ अमानत राशि रूपये 3916.00/- का बैंक चैक/डी.डी. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम संलग्न करना आवश्यक होगा। बिना अमानत राशि के प्रस्तुत बोली प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जायेंगे।

नीलामी योग्य सामग्री की सूची(संलग्नक -1) एवं शर्तें (संलग्नक -2) संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता को किसी भी समय बिना कारण बताये नीलामी स्वीकृत /अस्वीकृत / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

क्रमांक : एफ13(33)/राप्रनिम/आईटीएस/482-486

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा. प्र. नि. म., जयपुर।
2. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा. प्र. नि. म., जयपुर।
3. मुख्य पर्या. अभियन्ता, रा. प्र. नि. म., जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, रा. प्र. नि. म., जयपुर।
5. ग्रुप प्रभारी (आईटी), रा. प्र. नि. म., जयपुर को लेख है कि उक्त सूचना को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावे।
6. सूचना पट्ट, रा. प्र. नि. म., जयपुर।

सदस्य सचिव

दिनांक :- 30/03/2021

सदस्य सचिव

“बोली प्रस्ताव प्रारूप”

पुराने/अनुपयोगी/अप्रचलित/नकारा इलेक्ट्रॉनिक सामान / उपकरण (ई-वेस्ट) की
“जहाँ है जैसा है” आधार पर नीलामी हेतु

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निविदा क्रमांक दिनांक
द्वारा आयोजित निष्पादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक सामान/उपकरण (ई-वेस्ट) की निविदा में
हमारी:-

फर्म का नाम

पता

ई-वेस्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकार पत्र (Authorization) व संचालन
सम्मति का विवरण:-

1. प्राधिकार पत्र जारी करने के तिथि.....
2. प्राधिकार पत्र जारी करने वाली संस्था का नाम(CPCB/SPCB/PCC).....
3. प्राधिकार पत्र की वैधता.....
4. संचालन सम्मति (CTO)की वैधता.....

द्वारा निम्नानुसार बोली प्रस्ताव दिया जाता है:-

प्रस्ताव राशि	
रूपये :-	
अक्षर:-	

1. उक्त वर्णित प्रस्ताव के साथ अमानत राशि रु/- नगद जमा करा दी गई है।
2. उक्त वर्णित सामग्री को हमारे द्वारा अच्छी तरह से अवलोकन कर लिया गया है। उक्त सामग्री जहां है जैसी है स्थिति में स्वीकार करते हुए ही उक्त बोली प्रस्ताव दिया गया है।
3. उक्त बोली प्रस्ताव GST रहित है आवश्यक देय टैक्स / GST आदि हमारी फर्म द्वारा ही जमा करवाया जावेगा।
4. ई-वेस्ट वैध प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से एकत्रित ई-वेस्ट को ई-वेस्ट(प्रबन्धन) नियम, 2016 व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (CPCB) द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार Environment Friendly Manner में ही भण्डारण / पुनः निस्तारण किया जावेगा।
5. मेरी फर्म के विरुद्ध केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (CPCB)/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (SPCB)/ प्रदूषण नियंत्रण समिति (PCC) द्वारा प्राधिकार पत्र रद्द करने के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही नहीं चल रही है।

हस्ताक्षर फर्म मय सील

Items and Quantity

Sr. No.	Details of Equipment	Make/Quality	Numbers
1	Television Colour	Onida, BPL	2
2	Lap top	HP	16
3	Scaner	HP, Canon	7
4	Computer	HP, COMPAQ, DELL	29
5	Printer (laser, color etc.)	HP	43
6	Dot Metric Printer	WEP	2
7	Crimping Tool Kit	-	1
8	Lane Tester	-	1
9	Punchdown tool	-	1
10	Webcam	HP	7
11	UPS 5 KVA, 1KVA	SMF, IND 600	4
12	Modem	D-Link	1
13	Lan	CISCO	Nodes 42
14	Dial up Connection	-	9
15	Server Computer	Compaq, Wipro	4
16	External DVD Writer	-	1
17	Pen Drive 1 GB, 2 GB, 4 GB	Sandisk, Kingston	67
18	Photo state Machine	Modi Xerox, MAJOX, Sharp, Geston, HP, Kyocera, Canon	31
19	Amlli Deck with speeker	-	2
20	Mobile set	MTS, Nokia, Samsung	123
21	DVD Player	-	1
22	Camera	Canon, Codec, Pentax	4
23	Fax Machine	Modi Xerox, Toshiba	5
24	Projector	-	1
25	Hub	-	1
26	Switch	-	2
27	Head Phone	Intex	35
28	Router	D-Link	1
29	Flopy Driver	-	1
30	Data Storage Driver	-	2
31	Switch Setting Box	-	1
32	Speaker	Philips, Ahuja	7
33	Telephone	Betal, Orpat	7



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone:0141-2716814,32 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

संलग्नक-2

नीलामी शर्तें

1. नीलामी योग्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री / उपकरण (जहां है जैसी है उसी स्थिति में) एवं निष्पादन की शर्तों का नीलामी से पूर्व अवलोकन किये जाने के बाद ही बिडर्स को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना चाहिये।
2. यदि बोली लगाने के बाद बिडर्स कोई शिकायत करता है, तो वह मान्य नहीं होगी। बोली समाप्त होते ही बिडर्स को अंतिम बोली की एक तिहाई राशि विभाग में तत्काल जमा करानी होगी एवं तीन दिवस में बोली की सम्पूर्ण राशि विभाग में जमा करवा कर सामग्री की सुपुर्दगी ली जानी आवश्यक है।
3. नीलामी में भाग लेने हेतु केवल उन्हीं फर्मों को योग्य माना जावेगा जिसके पास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (CPCB) / राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (SPCB) / प्रदूषण नियंत्रण समिति (PCC) द्वारा जारी ई-वेस्ट का वैध प्राधिकार पत्र तथा जल / वायु अधिनियमों के तहत वैध संचालन सम्मति होगी एवं जिसकी प्रति नीलामी से पूर्व विभाग में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
4. तीन दिवस में सुपुर्दगी नहीं लिये जाने की स्थिति में बोली की जमा कराई गई एक तिहाई राशि जब्त करली जायेगी।
5. नीलामी हेतु लगाई जाने वाली बोली GST रहित होगी। (Excluding GST एवं समस्त कर जमा कराने का दायित्व क्रेता का होगा।
6. नीलामी के दौरान अधिकतम बोली ही स्वीकार्य होगी।
7. यदि उक्त सामग्री की नीलामी में सही बोली नहीं लगती है, तो नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जावेगा।
8. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को किसी भी समय नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जावेगा।


सदस्य सचिव